दिनांक 10.11.2025

प्रेस विज्ञप्ति 15/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता एवं महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ</u>

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक **10.11.2025** को कमिश्नरेट कानपुर पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता एवं महिला सशक्तिकरण पर **एच0बी0टी0यू0 (Harcourt Butler Technical University), कानपुर नगर** में आयोजित कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर श्री रघुबीर लाल, जिलाधिकारी कानपुर नगर, व्यापार मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एन0जी0ओ0 तथा पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण सहित अत्याधिक संख्या में लोग उपस्थित रहें।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह एक अत्यंत सामयिक एवं उपयोगी कार्यशाला है। आज के डिजिटल युग में साइबर उपयोग जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। कोविड काल के पश्चात ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, किन्तु इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज का युवा वर्ग साइबर गेमिंग की लत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के सम्बोधन के प्रमुख बिन्दुः-

1. समाज पर साइबर अपराध का प्रभाव

वर्तमान परिदृश्य में समाज का शायद ही कोई वर्ग साइबर क्राइम से अप्रभावित रहा हो।

- हमारे स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
- महिलाएं एवं बालिकाएं साइबर स्टॉकिंग तथा अन्य महिला-केंद्रित साइबर अपराधों की शिकार होती हैं।

2. डिजिटल अरेस्ट — एक उभरता खतरा

डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे सभ्रांत वर्ग के नागरिक शिकार हुए हैं और जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं।

3. आर्थिक अपराध के तीन प्रमुख कारण

अधिकांश लोग तीन कारणों से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं —

1. लालच
2. भय
3. लापरवाही

4. नागरिकों के लिए तीन जरूरी उपाय

साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर ध्यान देना चाहिए:

- तत्काल 1930 डायल करें।
- गोल्डन टाइम-फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें।
- सही तथ्यों को दर्ज करें।

5. बच्चों और युवाओं में साइबर सजगता

बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में सतर्क करना आवश्यक है।
आज के युग में सोशल मीडिया नशे की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।
इसके लिए हमें और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

6. पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश

थाना प्रभारियों को यह अवधारणा त्यागनी होगी कि "साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते।"

साइबर अपराध की जांच (Investigation) पूर्णतः SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward) है।

यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह–सात चरणों को समझकर पाएगा कि यह विवेचना सामान्य आपराधिक जांच से भी अधिक सरल और त्वरित है।

साइबर अपराध का दायरा और दुष्प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिकों का पुलिस पर विश्वास और भरोसा भी सुदृढ़ होगा।

7. साइबर सुरक्षा में नागरिक सहभागिता

साइबर क्राइम से बचाव हेतु मजबूत पासवर्ड एवं अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सदैव सतर्क रहें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक-केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी साइबर कानून प्रवर्तन के साथ-साथ राज्य को साइबर अपराध-मुक्त तथा देश को साइबर नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

- यह लक्ष्य तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक सतर्क, सजग और सहयोगी बनकर इस मिशन में सहभागी बने।
- सुरक्षित डिजिटल उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब जनता और पुलिस साथ हों।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम नियंत्रण के प्रयास एवं प्रगति

उत्तर प्रदेश पुलिस न केवल अपराधियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित डिजिटल जीवन प्रदान करने के मिशन पर निरंतर अग्रसर है।

दिनांक 10.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस०एन०टी०एफ० आपरेशनल यूनिट वाराणसी व ए०एन०टी०एफ० थाना गाजीपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 390 ग्राम अवैध हेरोईन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 78 लाख रू),01 अदद मोटर साइकिल, 01 अदद मोबाइल फोन व 520/– रुपया नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 अपर पुलिस महानिदेशक अपराध,उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक(ऑपरेशन) एएनटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ यूनिट वाराणसी द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे एक सक्रिय तस्कर जिसका नाम सौरभ कुमार सोनी पुत्र मुन्ना सोनी निवासी डिबुलगंज दुर्गा मंदिर थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 390 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 78 लाख रू) व 01 अदद मोटर साइकिल,01 अदद मोबाइल फोन व 520/– रुपया नगद बरामद किया गया।जिसके सम्बन्ध मे थाना पिपरी जनपद– सोनभद्र पर मु0अ0सं0 222/2025 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि ये हेरोईन सस्ते दामों में खरीद कर आस पास के कस्बो व जनपदों में अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाता है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. सौरभ कुमार सोनी पुत्र मुन्ना सोनी निवासी डिबुलगंज दुर्गा मंदिर थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24

बरामदगी का विवरण–

1– 390 ग्राम अवैध हेरोईन (जिसकी कीमत लगभग 78 लाख रूपए है)।

2– 01 अदद मोटर साइकिल(UP 64 AK 4943)

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4– 520 रूपए नकद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट वाराणसी व आपरेशनल टीम गाजीपुर ।

1. नि0श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह – प्रभारी एएनटीएफ थाना गाजीपुर
2. उ0नि0श्री आदित्यनारायण सिंह – एएनटीएफ थाना गाजीपुर
3. मुख्य आरक्षी अभिषेक कुमार – एएनटीएफ यूनिट वाराणसी
4. मुख्य आरक्षी इन्द्रजीत कुमार – एएनटीएफ यूनिट वाराणसी
5. आरक्षी शक्तिधर पाण्डेय – एएनटीएफ यूनिट वाराणसी
6. आरक्षी आशुतोष त्रिपाठी – एएनटीएफ यूनिट वाराणसी
7. आरक्षी अमित कुमार चौरसिया – एएनटीएफ थाना गाजीपुर
8. आरक्षी इन्द्रपाल सिंह – एएनटीएफ थाना गाजीपुर

सहयोगार्थ टीम थाना पिपरी जनपद सोनभद्र –

1– प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार राय – थाना पिपरी जनपद सोनभद्र

2– हे0का0 महेश – थाना पिपरी जनपद सोनभद्र

3– हे0का0चा0 राजेश – थाना पिपरी जनपद सोनभद्र

जनपद हापुड़/थाना कपूरपुर

• पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत

• 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस

• 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद

दिनांक 09/10.11.2025 की रात्रि थाना कपूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सपनावत बम्बे पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हसीन घायल हो गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल, बुलन्दशहर, अमरोहा, हापुड़ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, विद्युत अधिनियम, गैंगेस्टर

एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद हापुड़ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–हसीन निवासी ग्राम मैनौटा थाना असमोली जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 10.11.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त महेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महेन्द्र कुमार निवासी खेवली थाना देवा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

• पुलिस कार्यवाही मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• 02 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस 32 बोर

• 04 अवैध तमंचा 315 बोर

• 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सकरापार रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विवेक उर्फ पप्पू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस 32 बोर, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद देवरिया के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैगेंस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 17 अभियो पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विवेक उर्फ पप्पू निवासी ग्राम पतलापुर थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—02 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन मय जीवित/खोखा कारतूस 32 बोर।

2—04 अवैध तमंचा 315 बोर।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बदायूँ/थाना दातागंज

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 10.11.2025 को थाना दातागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरेली तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—सूरज 2—अमन 3—धारा को गिरफ्तार किया

गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दातागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी ग्राम रासा नगरिया थाना हजरतपुर जनपद बदायूं।

2–अमन निवासी मो0 बडा परा काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना दातागंज जनपद बदायूं।

3–धारा निवासी मो0 बड़ा परा कस्बा व थाना दातागंज जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कटरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ओमेन्द्र 2–देवेन्द्र 3–धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इरशाद को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––